फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

लता कुमारी बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा धारा 136 एल.आर.ए.

मु0नं0–89 / 2022

पीठासीन अधिकारी यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.07.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 276, 277, 278, 280, 286 / 455, 287, 290, 291, 292, 279 वाके ग्राम मीना सीमला तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसमें प्रार्थीया के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम ललिता देवी पत्नि कपूरचंद दर्ज है जबकि प्रार्थीया का सही नाम लता कुमारी पत्नि कपूरचंद है इसलिए उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि की जावे। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गयां। पत्रावली पर उपलब्ध जवाब तहसीलदार सिकराय का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सिकराय द्वारा जवाब में यह तथ्य अंकित किया है कि लता एवं ललिता दोनों एक ही महिला है इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 276, 277, 278, 280, 286 / 455, 287, 290, 291, 292, 279 वाके ग्राम मीना सीमला तह0 सिकराय जिला दौसा में प्रार्थीया का नाम ललिता देवी पत्नि कपूरचन्द के स्थान पर लता कुमारी पत्नि कपूरचन्ददर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतू तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 31.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट • सिकराय जिला–दौसा (राज.)